न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 04 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1 सोनू देवी पत्नी अशोक कुमार		1 सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2 दुर्गेश गहलोत पुत्र अशोक कुमार		2 तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।
3 सुभाष गहलोत पुत्र अशोक कुमार जातिगण माली, निवासीगण सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ना.स. 748स्वीकृत दिनांक 07 / 08 / 2020 द्वारा ग्राम पंचायत रेन्दड़ी

तारीख रजू :– 15/03/2022

उपस्थितिः–

1. श्री नवनीत गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 21/11/2022

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया, पटवार हल्का आलावास तह0 सोजत में खसरा संख्या 188 रकबा 1.2400 हैक्टर किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता/पति की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। अपीलाण्ट के पिता/पति का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकार है अशोक कुमार पुत्र नेमीचंद, सोनीदेवी पत्नी अशोक कुमार, दुर्गेश गहलोत एवं सुभाष गहलोत पिसरान अशोक कुमार है। अपीलाण्ट के पिता/पति के फौत के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर फौतेदगी म्यूटेशन दुर्गेश, सुभाष, सोनू देवी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई थी तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि में सोनू के पति का सही एवं असल नाम अशोक कुमार है। जबकि उसके स्थान पर तिलोकराम गलत इन्द्राज कर दिया है, जो फौतेदगी नामान्तरण निरस्त किया जावे तथा तिलोकराम की जगह अशोक कुमार किया जावे। अपीलाण्ट द्वारा पटवारी व तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपने पिता/पति का नाम अशोक कुमार ही अंकित किया था लेकिन पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा सही जांच नहीं की जबकि अशोक कुमार की जगह सोनू देवी पत्नी तिलोकराम गलत अंकित किया। अपीलाण्ट ही अशोक कुमार के विधिक वारिसान है। इसलिये म्यूटेशन संख्या 748 निरस्त योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अशोक कुमार के विधिक वारिसान के नाम व पिता/पति के सही नाम के जांच किये बिना ही नामान्तकरण सर्व सहमति से स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त म्यूटेशन दिनांक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

07.08.2020 को सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा स्वीकृत होने तथा उसके पश्चात् वैश्विक कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने से हाल ही में अपीलाण्टान द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रति प्राप्त करने पर सर्वप्रथम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। उक्त अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है जिस हेतु म्याद की छूट प्रदान हेतु अलग से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र का पेश है। उक्त म्यूटेशन दिनांक 07.08.2020 को सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा स्वीकृत होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने नामान्तकरण संख्या 748 दिनांक 07.08.2020 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः विधिक वारिसान की जांच की जाकर म्यूटेशन भरने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मनस तलब किया गया। दिनांक 12.07.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तहसीलदार सोजत द्वारा मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्टनुसार ग्राम रेन्दड़ी के खाता संख्या 335, खसरा नम्बर 188 रकबा 1.24 है0 में गणपतलाल पुत्र बस्तीराम हि0 1/12 चूकी पत्नि बस्तीराम हि0 1/12 चम्पालाल पुत्र मंगलाराम हि0 1/4 जवरीलाल पुत्र बस्तीराम हि0 1/12 ना0बा0 दुर्गेश गहलोत पुत्र अशोककुमार संरक्षक सोनूदेवी हि0 1/36 मोडाराम पुत्र नेमीचंद हि0 1/12 लक्ष्मीदेवी पुत्री नत्थुराम हि0 1/8 विजयदेवी पुत्री नत्थुराम हि0 1/8 सुआ पत्नि नेमीचंद हि0 1/12 ना0ब0 सुभाष गहलोत पुत्र अशोक कुमार संरक्षक सोनूदेवी हि0 1/36 सोनूदेवी पत्नि तिलोकराम हि0 1/36 कौम माली सा. सोजत खातेदार दर्ज है। मौके पर मेहन्दी की फसल खड़ी है। उक्त रिपोर्ट को सामिल मिसल किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया, पटवार हल्का आलावास तह0 सोजत में खसरा संख्या 188 रकबा 1.2400 हैक्टर किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता/पति की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। अपीलाण्ट के पिता/पति का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अशोक कुमार के विधिक वारिसान के नाम व पिता/पति के सही नाम के जांच किये बिना ही नामान्तकरण संख्या 748 सर्व सहमति से स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 748 दिनांक 07.08.2020 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः विधिक वारिसान की जांच की जाकर म्यूटेशन भरने की ईशतदुआ की है। जबाब बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित व देरीना कारण युक्ति युक्त होने दरीना समय को कण्डोन किया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

जाता है। तहसीलदार सोजत की जॉच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 748 बिना विधिक वारिसान जांच किए भरा गया है। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है, जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ कि अशोक कुमार के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण भरे जाने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 748 विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि वे पुनः विधिक वारिसान की जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यहनिर्णय आज दिनांक 21/01/2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)